Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 204-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022 (AGRAHAYANA 2, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 नवम्बर, 2022

संख्या 22/20/2022–3टी(1).– मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 65 की उपधारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 22/20/2022–3टी(I), दिनाक 27 अक्तूबर, 2022, के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मोटरवाहन नियम, 1993, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियम

1. ये नियम हरियाणा मोटर वाहन (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 33 में, उप–नियम (1) में, द्वितीय परन्तुक में, शब्दों, अंक तथा कोष्ठक ''प्रथम 100 डिजिटों (अक्षरों)'' के स्थान पर ''नियम 33ख में, तालिका में विनिर्दिष्ट अधिमान्य पंजीकरण चिह्नों'' शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।''

3. उक्त नियमों में, नियम 33क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

''33क. मोटर वाहनों को पंजीकरण चिह्नों का आबंटन. (1) गैर–परिवहन वाहनों को पंजीकरण चिह्नों का आबंटन या तो ई–नीलामी द्वारा या कम्प्यूटर सिस्टम का प्रयोग करते हुए क्रमरहित सृजन द्वारा किया जा सकता है।

(2) परिवहन वाहनों को पंजीकरण चिह्नों का आबंटन या तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर या कम्प्यूटर सिस्टम का प्रयोग करते हुए क्रमरहित सृजन द्वारा किया जा सकता है।

(3) किसी कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा क्रमरहित सृजन द्वारा नियत सभी पंजीकरण चिह्न ''साधारण पंजीकरण चिह्न'' कहे जाएंगे।

(4) सभी पंजीकरण चिह्न, जो नियम 33ख और 33ग में विनिर्दिष्ट हैं, को ''अधिमान्य पंजीकरण चिह्न'' कहा जाएगा।

(5) सभी पंजीकरण चिह्न, जो नियम 33ख के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट हैं, को ''पसंदीदा पंजीकरण चिह्न'' कहा जाएगा।

33ख. गैर–परिवहन वाहनों के लिए ई–नीलामी द्वारा अधिमान्य पंजीकरण चिह्नों का आबंटन.– (1) निम्नलिखित अधिमान्य पंजीकरण चिह्न पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा मोटर वाहनों को ई–नीलामी के माध्यम से निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित आरक्षित मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर दिए जाएंगे, अर्थात्:

क्रम संख्या	पंजीकरण चिह्न	प्रति चिह्न के लिए आरक्षित मूल्य
1.	0001	5,00,000 / –रूपये
2.	0002, 0007, 0009	1,50,000 / –रूपये
3.	0003, 0004, 0005, 0006, 0008	1,00,000 / –रूपये
4.	0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088 0099, 0100 तथा 0786	75,000 / –रूपये
5.	ऊपर क्रम संख्या 4 में दर्शाए गए चिह्नों को छोड़कर 0012 से 0098, 0101, 0110, 0111, 0200, 0202, 0220, 0222, 0300, 0330, 0303, 0333, 0400, 0404, 0444, 0500, 0505, 0550, 0555, 0600, 0606, 0660, 0666, 0700, 0707, 0770, 0777, 0800, 0808, 0880, 0888, 0900, 0909, 0990, 0999, 1000, 1001, 1111, 2000, 2002, 2222, 3000, 3003, 3333, 4000, 4004, 4444, 5000, 5005, 5555, 6000, 6006, 6666, 7000, 7007, 7777, 8000, 8008, 8888, 9000, 9009, 9999	50,000 / –रूपये

(2) **ई–नीलामी द्वारा गैर–परिवहन वाहनों के लिए पसंदीदा पंजीकरण चिह्नों का आबंटनः–** यदि कोई व्यक्ति गैर आंबटित पंजीकरण चिह्नों, जो अधिमान्य पंजीकरण चिह्न नहीं हैं, में से अपने स्वामित्व वाले वाहन हेतु आबंटन के लिए किसी भी पंजीकरण चिह्न को चुनना चाहता है, तो वह निर्दिष्ट पोर्टल पर अपनी पसंद को उपदर्शित कर सकता है। फिर ऐसे पंजीकरण चिह्न को कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा क्रमरहित सृजन हेतु पंजीकरण चिह्नों के पूल से हटा दिया जाएगा और ई–नीलामी हेतु पंजीकरण चिह्नों के पूल में जोड़ दिया जाएगा। ऐसे पसंदीदा पंजीकरण चिह्नों के लिए आरक्षित मूल्य 20,000 / – रूपये होगा।

33ग. पहले आओ पहले पाओ सेवा के आधार पर परिवहन वाहनों के लिए अधिमान्य पंजीकरण चिह्नों का आबंटन.– निम्नलिखित अधिमान्य पंजीकरण चिह्न, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा, पहले आओ पहले पाओ सेवा के आधार पर, निम्न तालिका में दर्शाए गए अनुसार मोटर वाहनों के स्वामियों द्वारा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर आबंटित किए जाएंगेः–

क्रम संख्या	पंजीकरण चिह्न	प्रति चिह्न के लिए आरक्षित मूल्य
1.	0001	1,00,000 / – रूपये
2.	0002 से 0021, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 099 और 0786	30,000 / – रूपये
3.	0100, 0111, 0222, 0333, 0444, 0555, 0666, 0777, 0888, 0999, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999	20,000 / – रूपये
4.	कोई अन्य पंजीकरण चिह्न	10,000 / –रूपये

"**33घ गैर–परिवहन वाहनों हेतु पंजीकरण चिह्नों की ई–नीलामी.–** (1) पंजीकरण चिह्नों की ई–नीलामी के लिए एक निर्दिष्ट पोर्टल होगा।

(2) **पंजीकरण चिह्नों का पूलः** पंजीकरण चिह्नों की ई–नीलामी निम्नलिखित से मिलकर बने पंजीकरण चिह्नों के पूल से की जाएगीः

(क) सभी "अधिमान्य पंजीकरण चिह्न",

(ख) सभी "पसंदीदा पंजीकरण चिह्न"

(3) एक ई–नीलामी बोली चक्र में, पंजीकरण चिह्नों के पूल में, अंतिम चार समान अंकों वाले दो से अनधिक समान "अधिमान्य पंजीकरण चिह्न" शामिल नहीं किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, "0001" के अंतिम चार अंक वाले दो से अनअधिक चिह्न शामिल नहीं किए जाएंगे।

(4) प्रत्येक के आरक्षित मूल्य सहित, ई–नीलामी के लिए प्रस्तुत अधिमान्य पंजीकरण चिह्नों का पूल, सभी बोलीदाताओं की जानकारी के लिए निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(5) **बोलीदाताओं का पंजीकरणः** ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रत्येक बोलीदाता को निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। कोई भी बोलीदाता किसी भी समय निर्दिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है।

(6) **पंजीकरण की आवश्यकताएंः–** पंजीकरण के लिए, किसी बोलीदाता को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, अर्थात्:

(i) नाम, पिता का नाम और पूरा पता।

(ii) ई–नीलामी से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल फोन नंबर और ई–मेल आईडी।

(iii) व्यैक्तिक के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आईडी और व्यवसायिक उद्यमियों के लिए, हरियाणा उद्यम ज्ञापन (एचयूएम) आईडी मार्क।

(iv) आई0एफ0एस0सी कोड सहित बैंक खाते का विवरण।

(v) कोई अन्य प्रासंगिक सूचना, जो मांगी जा सकती है।

(7) **एक विशिष्ट पहचान संख्याः–** पंजीकरण के सफलतापूर्वक समापन पर, प्रत्येक बोलीदाता की एक विशिष्ट पहचान संख्या निर्दिष्ट की जाएगी, जिसे बोलीदाता को पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई–मेल आईडी या दोनों पर, सूचित किया जाएगा।

(8) **पंजीकरण चिह्न सौंपने की समय अवधिः–** ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व किसी भी बोलीदाता को अपने नाम पर पंजीकृत होने के लिए पात्र होने हेतु उसके पास मोटर वाहन होने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, ई–नीलामी बोली में सफलतापूर्वक पंजीकरण चिह्न जीतने पर, बोलीदाता को, नब्बे दिनों के भीतर पंजीकरण चिह्न को एक पात्र मोटर वाहन पर नियत करवाना होगा, ऐसा न करने पर उसके पंजीकरण चिह्न का आबंटन खुद–ब–खुद रदद् कर दिया जाएगा। रदद्करण के मामले में बोलीदाता को कोई प्रतिदाय नहीं दिया जाएगा।

(9) **आवेदन शुल्कः** प्रत्येक बोलीदाता, प्रत्येक ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, एक अप्रतिदाय आवेदन शुल्क जमा करवाएगा। 50,000/– रूपये और उससे अधिक आरक्षित मूल्य के अधिमान्य पंजीकरण चिह्नों के लिए 1000/– रूपये और अन्य सभी पंजीकरण चिह्नों के लिए 500/– रूपये फीस होगी। तथापि, आवेदन फीस वापिस लौटा दी जाएगी, यदि, किसी भी कारण से ई–नीलामी आयोजित नहीं की जाती है या रद्द हो जाती है।

(10) **बोली सुरक्षाः** प्रत्येक बोलीदाता को, प्रत्येक अधिमान्य चिह्न, जिसके लिए वह बोली लगाना चाहता है, के लिए नियम 33ख के उप–नियम (2) में उल्लिखित आरक्षित मूल्य के 20 प्रतिशत के बराबर बोली सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। यदि बोलीदाता एक से अधिक अधिमान्य चिह्न के लिए बोली लगाना चाहता है, तो उसे ऐसे प्रत्येक पंजीकरण चिह्न के लिए अलग बोली सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। किसी भी बोलीदाता को बोली प्रक्रिया में तब तक भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसके द्वारा आवेदन फीस और बोली सुरक्षा राशि जमा नहीं कर दी जाती।

(11) **बोली की प्रक्रियाः**

(i) बोली प्रक्रिया साप्ताहिक चक्रों में पूरी की जाएगी।

(ii) प्रत्येक साप्ताहिक बोली चक्र प्रत्येक शुक्रवार को 1200 बजे शुरू होगा और प्रत्येक गुरुवार को 1700 बजे समाप्त होगा।

(iii) पंजीकरण चिह्नों का पूल, प्रत्येक के लिए आरक्षित मूल्य के साथ, जो बोली चक्र में ई–नीलामी में प्रस्तुत किया जाता है, शुक्रवार को दोपहर 1200 बजे प्रत्येक बोली चक्र के प्रारंभ होने पर निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(iv) बोली सोमवार को सुबह 0900 बजे प्रारम्भ होगी।

(v) बोली बुधवार को 1700 बजे समाप्त होगी।

(vi) प्रत्येक बोली चक्र के परिणाम निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे और सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर या ई–मेल या दोनों के माध्यम से बोली समाप्ति के चौबीस घंटे के भीतर संसूचित किया जाएगा।

(vii) ई–नीलामी में बोली राशि की केवल 1000/– रुपये के गुणकों में वृद्धि की जाएगी।

(viii) पंजीकरण चिह्न, इसमें यथाविहित प्रत्येक पंजीकरण चिह्न के लिए उच्चतम बोलीदाता को आबंटित किया जाएगा।

(ix) नियम 33ख में, तालिका में उल्लिखित "अधिमान्य पंजीकरण चिह्न" में से किसी भी पंजीकरण चिह्न के आबंटन हेतु बोली प्रक्रिया के सफल होने के लिए न्यूनतम तीन बोलीदाताओं की आवश्यकता होगी। यदि, तीन बोलीदाताओं की न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तो उस अधिमान्य पंजीकरण चिह्न के लिए उस बोली चक्र में बोली को पूर्ण नहीं माना जाएगा। कोई भी बोलीदाता, जिसने बोली में भाग लिया है, की बोली को अगामी बोली चक्र में आगे बढ़ाया जाएगा। यदि, बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या की कमी के कारण, किसी अधिमान्य पंजीकरण चिह्न के लिए बोली प्रक्रिया को लगातार तीन बोली चक्रों में पूरा नहीं माना जाता है, तो तीनों बोली चक्रों में से सबसे उच्चतम बोली लगाने वाले बोलीदाता को अधिमान्य पंजीकरण चिह्न प्रदान किया जाएगा।

(x) नियम 33ख के उप–नियम (2) में उल्लिखित ''पसंदीदा पंजीकरण चिह्न'' के आबंटन के लिए किसी बोली चक्र में बोलीदाताओं की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पंजीकरण चिह्न एक बोली चक्र के बाद उच्चतम बोली लगाने वाले को आबंटित किए जा सकते हैं।

(xi) किसी भी कारण से किसी भी ई–नीलामी बोली को रद्द करने के मामले में, आवेदन फीस के साथ–साथ प्रत्येक बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति वापस कर दी जाएगी।

(xii) सफल बोलीदाता को उसकी सफल बोली की राशि की शेष राशि, बोली चक्र की समाप्ति के समय से पांच कैलेंडर दिनों के भीतर जमा करनी अपेक्षित होगी, जिसमें असफल रहने पर उस पंजीकरण चिह्न की ई–नीलामी को रद्द माना जाएगा और उसकी बोली प्रतिभूति समपहृत कर ली जाएगी। ऐसे पंजीकरण चिह्न को, रद्द माने जाने के उपरांत, आगामी बोली चक्र में बोली लगाने हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि किसी तकनीकी कारण से सफल बोली के बाद भुगतान परिवहन विभाग के बैंक खाते में प्रदर्शित नहीं होता है, लेकिन सफल बोलीदाता के बैंक खाते से काटौती हो जाती है, तो उसके लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। तथापि, जमा राशि, यदि बोली रद्द करने के बाद प्राप्त होती है, तो प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर विभाग द्वारा वापस कर दी जाएगी।

(xiii) बोलीदाताओं द्वारा सभी भुगतान, परिवहन विभाग या राज्य सरकार, जैसे भी निर्दिष्ट पोर्टल पर दर्शाया जाए, के बैंक खाते में इलैक्ट्रॉनिक रूप से किए जाएंगे।

(xiv) परिवहन विभाग द्वारा सभी प्रतिदाय पंजीकृत बोलीदाताओं के बैंक खातों में निर्दिष्ट पोर्टल पर उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक रूप से किए जाएंगे।

(12) **पंजीकरण चिह्नों का आबंटनः** ई–नीलामी प्रक्रिया में सफल बोलीदाताओं को प्रदान किए गए प्रत्येक पंजीकरण चिह्न का आबंटन पत्र, पूर्ण बोली राशि की प्राप्ति के बाद, सात कैलेंडर दिवसों के भीतर स्वतः रूप से उत्पन्न हो जाएगा। पंजीकरण चिह्न का आबंटन लागू नियमों के अनुसार संबंधित श्रृंखला के पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(13) **बोली प्रतिभूति का प्रतिदायः** जमा की गई बोली प्रतिभूति सभी असफल बोलीदाताओं को उनके संबंधित बोली चक्र की समाप्ति से पंद्रह कैलेंडर दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी, जब तक कि बोली प्रतिभूति को नियम 33घ के उप–नियम (11) के खण्ड (ix) में यथा उपबन्धित अनुसार अगामी बोली चक्र में आगे नहीं बढ़ाया जाता है।।

(14) **ब्याज देयताः** परिवहन विभाग आवेदन फीस या बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई बोली प्रतिभूति राशि पर किसी भी ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगा।

(15) **ई–नीलामी रद्द करनाः** परिवहन आयुक्त, हरियाणा को, बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर ई–नीलामी बोली प्रक्रिया को पुनर्निर्धारित या रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसे रदद्करण के मामले में, बोलीदाताओं को प्रतिदाय इसमें यथा उपबन्धित के अनुसार किया जाएगा।

(16) **ई–नीलामी प्रक्रिया का प्रशासनः** परिवहन आयुक्त, इसमें यथा उपबन्धित के अनुसार ई–नीलामी की पूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन करेंगे।

33ङ। पंजीकरण चिह्नों के हस्तांतरण और प्रतिधारण की शर्तें– (1) हरियाणा सरकार या इसकी संस्थाओं जैसे विभागों/बोर्डों/निगमों आदि के स्वामित्वाधीन ''जी0वी0'' श्रृंखला के पंजीकरण चिह्न या नियम 33ख तथा 33ग की तालिकाओं में यथा परिभाषित अधिमान्य पंजीकरण चिह्न रखने वाले किसी भी मोटर वाहन का, बिक्री या अन्यथा द्वारा निपटान करने से पूर्व, पंजीकरण चिह्न परिवहन विभाग को अभ्यर्पित किया जाएगा और ऐसे वाहन को एक वैकल्पिक पंजीकरण चिह्न आबंटित किया जाएगा।

(2) यदि किसी पंजीकरण चिह्न का धारक कोई व्यक्ति, इसे किसी अधिमान्य पंजीकरण चिह्न या पसंदीदा पंजीकरण चिह्न या साधारण पंजीकरण चिह्न में बदलना चाहता है, तो वह ऐसे पंजीकरण चिह्न के लिए इसमें यथा उपबन्धित प्रकिया का पालन करके ऐसा कर सकता है। उसे ऐसे पंजीकरण चिह्न के लिए विहित किसी अन्य फीस या बोली राशि के अतिरिक्त, ऐसे प्रत्येक हस्तांतरण के लिए फीस के रूप में केवल 2000/– रुपये की राशि का भुगतान करना होगा।

(3) यदि किसी अधिमान्य पंजीकरण चिह्न या पसंदीदा पंजीकरण चिह्न या साधारण पंजीकरण चिह्न का धारक कोई व्यक्ति, ऐसे चिह्न को अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर हस्तातंरित करना चाहता है, तो उसे फीस के रूप में केवल 2000/– रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। इस नियम के प्रयोजन के लिए, परिवार में हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिनियम, 2021 (2021 का 20) द्वारा यथा परिभाषित एकल परिवार पहचान पत्र आईडी के अधीन परिवार के सदस्य शामिल होंगे। यदि, मोटर वाहन, संगठनों, फर्मों या कंपनियों के नाम से पंजीकृत हैं, तो ये केवल उसी नाम पर हस्तांतरित किए जा सकते हैं।

(4) यदि कोई अधिमान्य पंजीकरण चिह्न या पसंदीदा पंजीकरण चिह्न या साधारण पंजीकरण चिह्न का धारक कोई व्यक्ति, किसी भी कारण से, किसी भी मोटर वाहन पर आवंटन के बिना, अपने स्वयं के नाम पर ऐसे चिह्न को रखना चाहता है, तो संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण 180 दिन की अवधि के लिए ऐसे प्रतिधारण को अनुमत

करेगा। तथापि, 180 दिन की समाप्ति के बाद प्रतिधारण चिह्न नियमों में यथा उपबन्धित अनुसार किसी अन्य मोटर वाहन को आबंटित करने हेतु परिवहन विभाग को हस्तांरित किया हुआ समझा जाएगा।

33च. पंजीकरण चिह्नों को बदलना या वापस लेना:– राज्य सरकार के पास हरियाणा सरकार या इसकी संस्थाओं जैसे विभागों/बोर्डों/निगमों आदि के स्वामित्वाधीन किसी भी वाहन को आबंटित किसी भी पंजीकरण चिह्न को वापस लेने और ऐसे वाहन को कोई वैकल्पिक पंजीकरण चिह्न आबंटित करने की शक्ति होगी।

33छ वाहनों के वर्ग के लिए विशेष श्रृंखला आरक्षित करना:– राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, वाहनों के किसी विशेष वर्ग या श्रेणी के लिए, किसी भी समय पंजीकरण चिह्नों की किसी विशेष श्रृंखला या पंजीकरण चिह्नों की चुनिंदा संख्या आरक्षित कर सकती है''।

नवदीप सिंह विर्क,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 23rd November, 2022

No. 22/20/2022-3T(1).— In exercise of the powers conferred under Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and with reference to the Haryana Government, Transport Department, notification No. 22/20/2022-3T(I), dated the 27th October, 2022, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, namely:-

Rules

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 2022.

2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter called the said rules), in rule 33, in sub-rule (1), in the second proviso, for the words and figure "first 100 digits", the words and figure "preferential registration marks specified in the table in rule 33B" shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 33A, the following rules shall be substituted, namely:-

"33A. Assignment of registration marks to Motor Vehicles.- (1) Assignment of registration marks to Non-Transport Vehicles may either be by e- auction or by random generation using a computer system.

(1) Assignment of registration marks to Transport Vehicles may either be on first come first serve basis or by random generation using a computer system

(2) All registration marks assigned by random generation by a computer system shall be called as "ordinary registration marks".

(3) All registration marks that are specified in tables in rule 33B and 33C shall be called as "preferential registration marks".

(4) All registration marks that are specified in sub-rule (2) of rule 33B shall be called as "choice registration marks".

33B. Assignment of Preferential Registration Marks for Non-Transport Vehicles by e- Auction.- (1) The following preferential registration marks shall be assigned to the motor vehicles by the Registering Authority, through e-auction, on or above the reserve price,as mentioned in the following table, namely:-

Serial Number	Registration Mark	Reserve Price for each mark
1	0001	Rs. 5,00,000/-
2	0002, 0007, 0009	Rs. 1,50,000/-
3	0003, 0004, 0005, 0006, 0008	Rs. 1,00,000/-
4	0010, 0011, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099, 0100, and 0786	Rs. 75,000/-

5	0012 to 0098 except those mentioned in Serial No 4 above, 0101, 0110, 0111, 0200, 0202, 0220, 0222, 0300, 0330, 0303, 0333, 0400, 0404, 0440, 0444, 0500, 0505, 0550, 0555, 0600, 0606, 0660, 0666, 0700, 0707, 0770, 0777, 0800, 0808, 0880, 0888, 0900, 0909, 0990, 0999, 1000, 1001, 1111, 2000, 2002, 2222, 3000, 3003, 3333, 4000, 4004, 4444, 5000, 5005, 5555, 6000, 6006, 6666, 7000, 7007, 7777, 8000, 8008, 8888, 9000, 9009, 9999	Rs. 50,000/-

(2) **Assignment of choice registration marks for non-transport vehicles by e- auction.-** If any person wishes to choose any registration mark for assignment to a vehicle owned by him, from among the unassigned registration marks that is not a "preferential registration mark", he can indicate his choice on the designated portal. Such a registration mark shall then be removed from the pool of registration marks for random generation by a computer system and would be added to the pool of registration marks for e-auction. The reserve price for such choice registration marks shall be Rs. 20,000/-.

33C. Assignment of preferential registration marks for transport vehicles on first come first serve basis.- The following preferential registration marks shall be assigned to the motor vehicles by the Registering Authority, on first come first serve basis, on payment of additional fee by the owners of the motor vehicles, as mentioned in the following table:

Serial number	**Registration Mark**	**Additional fee for each mark**
1	0001	Rs. 1,00,000/-
2	0002 to 0021, 0022, 0033, 0044, 0055, 0066, 0077, 0088, 0099 and 0786	Rs. 30,000/-
3	0100, 0111, 0222, 0333, 0444, 0555, 0666, 0777, 0888, 0999, 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999	Rs. 20, 000/-
4	Any other registration mark	Rs. 10,000/-

33D. E-auction of registration marks for non-transport vehicles.-(1) There shall be a designated portal for e-auction of registration marks.

(2) **Pool of registration marks**:- E-auction of registration marks shall be carried out from registration marks in the pool consisting of:

(a) all the "preferential registration marks",

(b) all the "choice registration marks".

(3) Not more than two similar "preferential registration marks" having the same last four digits shall be included in the pool of registration marks in one e-auction bidding cycle. For example, not more than two marks having last four digits of "0001" shall be included.

(4) The pool of preferential registration marks offered for e-auction, along with the reserve price for each, shall be displayed on the designated portal for the information of all bidders.

(5) **Registration of bidders**: Every bidder shall have to register on the designated portal to participate in the e-auction process. A bidder can register on the designated portal at any time.

(6) **Registration requirements**:- A bidder shall be required to furnish the following particulars for registration, namely:-

(i) Name, Father's name and complete address.

(ii) Mobile phone number and e-mail id for receiving communication regardingthe e-Auction.

(iii) Parivar Pehchan Patra (PPP) ID for individuals and Haryana UdhyamMemorandum (HUM) ID Mark for business enterprises.

(iv) Bank Account Details with IFSC code.

(v) Any other relevant information that may be asked for.

(7) **A Unique Identification Number:-** A unique identification number shall be assigned to each bidder on successful completion of the registration which shall be communicated to the bidder on the registered mobile number or email id or both.

(8) **Time period for assigning registration mark:-** It shall not be a requirement for any bidder to have a

motor vehicle to be eligible for registration in his name prior to participation in the e-auction. However, upon successfully having won a registration mark in an e-auction bid, the bidder shall have to get the registration mark assigned to an eligible motor vehicle within ninety days, failing which the allotment of his registration mark shall be automatically cancelled. In case of such a cancellation no refund shall be given to the bidder.

(9) **Application fee**:- Each bidder shall submit a non-refundable application fee for participating in each e-auction. The fee shall be Rs. 1000/- for preferential registration marks with a reserve price of Rs. 50,000/- and above, and Rs. 500/- for all the other registration marks. The application fee shall however be refunded in case the e-auction is not held or cancelled due to any reason.

(10) **Bid security**:- Each bidder shall be required to deposit a bid security amount equal to 20% of the reserve price mentioned in sub-rule (2) of rule 33B for each preferential mark for which he wants to bid. In case the bidder wants to bid for more than one preferential mark he shall deposit separate bid security amount for each such registration mark. No bidder shall be allowed to participate in the bidding process unless the application fee and bid security amount has been deposited by him.

(11) **Bidding process.-**

(ii) Bidding process shall be completed in weekly cycles.

(iii) Each weekly bidding cycle shall commence on every Friday at 1200 hours and end on every Thursday at 1700 hours.

(iv) The pool of registration marks, along with the reserve price for each, that are offered in e-auction in the bidding cycle shall be displayed on the designated portal on commencement of every bidding cycle on Friday at 1200 hours.

(v) Bidding shall commence on Monday at 0900 hours.

(vi) Bidding shall end on Wednesday at 1700 hours.

(vii) The results of each bidding cycle shall be displayed on the designated portal and communicated to all the participating bidders within twenty-four hours of the end of the bidding on the registered mobile number or through e-mail or both.

(viii) The bid amount in e-auction shall increment in the multiples of Rs. 1000/- only.

(ix) The registration mark shall be allotted to the highest bidder for each registration mark as prescribed herein.

(x) A minimum number of three bidders shall be required for bidding process to be successful for allotment of any registration mark out of "preferential registration marks" mentioned at table in rule 33B. In case the minimum requirement of three bidders is not met then the bidding for that preferential registration mark shall not be considered completed in that bidding cycle. Any bidder who has participated in the bidding, his bid shall be carried forward to the next bidding cycle. If the bidding process for any preferential registration mark is not considered completed in three consecutive bidding cycles, on account of lack of minimum number of bidders, then the preferential registration mark shall be awarded to the highest bidder out of the three bidding cycles.

(xi) For allotment of "choice registration marks" mentioned in sub-rule (2) of rule 33B there is no requirement of minimum number of bidders in a bidding cycle. Such registration marks may be allotted to the highest bidder after one biddingcycle.

(xii) In case of cancellation of any e-auction bid due to any reason, the application fees as well as the bid security deposited by each bidder shall be refunded.

(xiii) A successful bidder shall be required to deposit the balance amount of his successful bid amount within five calendar days from the time of end of the bidding cycle, failing which the e-auction of that registration mark shall be treated as cancelled and his Bid Security shall be forfeited. Such a registration mark shall be made available for bidding in the next bidding cycle, after the e-auction of that registration mark is treated as cancelled. In case the payment after a successful bid is not reflected in the bank account of the Transport Department due to any technical reason but is deducted from the bank account of the successful bidder then the Transport Department shall not be responsible for the same. The deposited amount, if received after the cancellation of the bid shall however be refunded by the Department within fifteen days of receipt.

(xiv) All payments by bidders shall be made electronically into the bank account of the Transport Department or State Government as may be indicated on the designated portal.

(xv) All refunds by the Transport Department shall be made electronically into the bank accounts of the registered bidders as per the details submitted by them on the designated portal.

(12) **Assignment of registration marks**.- The assignment letter of each registration mark awarded to successful bidders in the e-auction process shall be generated automatically within seven calendar days, after receipt of full bid amount. Assignment of the registration mark shall be done by the Registering Authority ofthe concerned series as per applicable rules.

(13) **Refund of bid security.-** The bid security deposited shall be refunded to all unsuccessful bidders within fifteen calendar days from end of their respective bidding cycle, unless the bid security is carried forward to the next bidding cycle as provide for in clause (ix) of sub-rule (11) of rule 33D.

(14) **Interest liability.** The Transport Department shall not be liable to pay any interest on the application fees or bid security amount deposited by the bidders.

(15) **Cancellation of e-auction.-** The Transport Commissioner, Haryana shall have the right to reschedule or cancel the e-auction bid process at any stage without assigning any reason. In the event of such cancellation, refunds to bidders shall be made as provided herein.

(16) **Administration of e-auction process.-** The Transport Commissioner shall administer the entire process of e-auction, as prescribed herein.

33E. Conditions of transfer and retention of Registration marks.- (1) Before disposing any motor vehicle owned by Government of Haryana or its entities like Departments/Boards/Corporations etc. bearing a registration mark of "GV" series or a preferential registration mark as defined in tables in rule 33B and 33C, by sale or otherwise, the registration mark shall be surrendered to the Transport Department and an alternate registration mark shall be assigned to such vehicle.

(2) If any person holding any registration mark desires to change the same to any preferential registration mark or choice registration mark or ordinary registration mark, then he can do so by following the procedure prescribed herein, for such registration mark. He shall have to pay a sum of Rs. 2000/- only as fees for each such transfer, in addition to any other fees or bid amount prescribed for such registration mark.

(3) If any person holding any preferential registration mark or choice registration mark or ordinary registration mark wants to transfer such a mark in his own name or in the name of his family members, then he shall have to pay a sum of Rs. 2000/- only as fees for each such transfer. For the purpose of this rule, family will include only the members of the family under a single Parivar Pehchan Patra ID as defined by the Haryana Parivar Pehchan Patra Act, 2021 (20 of 2021). In case of motor vehicle registered in the names of organisations, firms or companies then these can be transferred only on the same name.

(4) If any person holding any preferential registration mark or choice registration mark or ordinary registration mark wants to retain such a mark in his own name, without allocation on any motor vehicle, for any reason, then the concerned Registering Authority shall allow such retention for a period up to 180 days. However, after the expiry of 180 days, the retained mark shall stand transferred to the Transport Department for allocation to any other motor vehicle as provided for in the rules.

33F. Change or withdrawal of Registration marks.- The State Government shall have the power to withdraw any registration mark allotted to any vehicle owned by the Government of Haryana or its entities like Departments/Boards/Corporations etc. and assign an alternateregistration mark to such vehicle.

33G. Reserving particular series for a class of vehicles:- The State Government may reserve a particular series of registration marks or selected numbers of registration marks of any series at any time, for a particular class or category of vehicles through a notification in the Official Gazette.**"**

NAVDEEP SINGH VIRK,
Principal Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

9989—C.S.—H.G.P., Pkl.